मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION RMSC

।।सर्वे सन्तु निरामया:।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2023-24 / 1544 दिनांक : 20.09.2023

कार्यालय आदेश

M/s Cadila Pharmaceuticals, 1389, Dholka-382225, Dist: Ahmedabad , Gujarat की निविदा क्रमांक F.02(270)/RMSCL/Proc./Drug/NIB-12/2019/1027 दिनांक 18-Sep-2019 के तहत् औषधि Biphasic Isophane Insulin Inj IP (30 % Soluble Insulin And 70 % Isophane Insulin) Inj. 40 IU/Ml(R-DNA Origin)[279] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 616 दिनांक 17.05.2021 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को Testing हेतु Govt. Drug Testing Laboratory में भिजवाया गया। Govt. Drug Testing Laboratory से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के बैच (GN21138, GN21139) को Soluble Insulin Human content कम पाये जाने के कारण अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

औषधि के उक्त बैच का वैधानिक नमुना औषधि नियंत्रक राजस्थान द्वारा लिया जाकर जाँच हेतु Govt. Drug Testing Laboratory में भिजवाया गया।

Govt. Drug Testing Laboratory से उक्त बैचों (GN21138, GN21139) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। Govt. Drug Testing Laboratory ने औषधि के बैच (GN21138, GN21139) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Grossly SubStandard की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Cadila Pharmaceuticals, 1389, Dholka-382225, Dist: Ahmedabad , Gujarat की औषधि Biphasic Isophane Insulin Inj IP (30 % Soluble Insulin And 70 % Isophane Insulin) Inj. 40 IU/Ml(R-DNA Origin)[279] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

अनुपमा जोरवाल
आइ.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2023-24 / 1544 दिनांक : 20.09.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।

4. निदेशक,पी.एच / आर.सी.एच / एच.ए / ए.आई.डी.एस. / एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान / एफ डी ए, गुजरात ।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट) / वित्त / एल / ई.पी.एम एवं सं.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Cadila Pharmaceuticals, 1389, Dholka-382225, Dist: Ahmedabad , Gujarat
12. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)